

(b) and (c). Apart from a departmental enquiry which is being conducted by Air-India, the Director General of Civil Aviation is also conducting an enquiry. The enquiries are still in progress.

**Proposal to Constitute all India Judicial Service**

6635: SHRI MARANDI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a proposal under consideration of Government to constitute an All India Judicial Service on the lines of I. A. S; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कौशाम्बी में अनुसंधान तथा खुदाई कार्य के लिये इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अनुदान

6636. श्री अनेश्वर मिश्र: क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व विभाग को कौशाम्बी में अनुसंधान तथा खुदाई के कार्य के लिये वित्तीय सहायता देता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस आयोग ने सहायता के रूप में कुल कितनी राशि दी है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री ( डा० बी० के० आर० बी० राव ): (क) और (ख). विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने दिसम्बर, 1959

में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पुरातत्व विभाग के विकास के लिए 3.50 लाख रुपये से अधिक न होता हुआ अनावर्तक और 75,000 रुपये आवर्तक सहायता प्रतिवर्ष के हिसाब से पांच वर्षों के लिए अर्थात् 31 मार्च, 1966 तक देना स्वीकृत कर लिया था। बाद में सहायता की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च, 1967 तक कर दिया गया था। विश्व-विद्यालय द्वारा भेजे गये प्रस्तावों में खुदाई का स्थान न बताते हुए, 10,000 रुपये खुदाई, खोज तथा पुरातत्वीय दौरों के लिये सम्मिलित हैं। 31 मार्च, 1967 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए उस विभाग को स्वीकृत अनुदान के बदले में पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय को निम्नलिखित राशि दी गई:

रु०

1967-68 18370.33 (स्टाफ तथा उपकरण)

1968-69 50,000 (भवन)

1969-70 55,000 (भवन)

**Check on Lobbying by Members of Parliament**

6637. SHRI BENI SHANKER SHARMA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any check on lobbying by Members of Parliament for propagating their party views and gaining support for them, in the precincts of the House;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the steps proposed to be taken in this direction?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): (a) to (c). The precincts of the House are under the jurisdiction of the Presiding Officer and hence the subject referred to does not come within the purview of the Minister of Parliamentary Affairs.